

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-4/2009/11/(6)- राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14" दिनांक 1 नवम्बर 2009 से संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू करता है। "औद्योगिक नीति 2009-14" दिनांक 1 नवम्बर 2009 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2014 को समाप्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार^{पि.} रमेष कुमार, सचिव

विषय-सूची

क्रमांक	विषय
1.	प्रस्तावना
2.	उद्देश्य
3.	रणनीति
4.	कार्यनीति <ul style="list-style-type: none"> 4.1 बुनियादी अधोसंरचना 4.2 औद्योगिक अधोसंरचना 4.3 प्रशासकीय एवं कानूनी सुधार
5.	उद्योगों के दायित्व
6.	निर्यात संवर्धन एवं एफ०ड०आई० निवेश
7.	प्रक्रिया सरलीकरण एवं सहायक उद्योगों का विकास
8.	बीमार औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास
9.	उद्यमिता एवं मानव संसाधन विकास
10.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
11.	क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा

परिशिष्ट-

परिशिष्ट-1 परिभाषाएं

परिशिष्ट-2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/ रियायतों एवं पुरस्कार हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची

परिशिष्ट-3 प्राथमिकता उद्योगों की सूची

परिशिष्ट-4 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/ रियायतों एवं पुरस्कार का विवरण

परिशिष्ट-5 कार सेक्टर के उद्योग

परिशिष्ट-6 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

परिशिष्ट-7 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

परिशिष्ट-8 निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना

(1) प्रस्तावना (Preface)

- 1.1 भारत के तेजी से बढ़ने वाले उदीयमान राज्यों में समिलित “छत्तीसगढ़ राज्य” प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। खनिज एवं वन संपदा राज्य के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके योजनाबद्ध दोहन से राज्य प्रगति के नये सोपानों की ओर अग्रसर हैं।
- 1.2 भारत के खनिज संसाधनों से समृद्धशाली राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में कोयला, लाईमस्टोन जैसे सामान्य खनिजों के साथ-साथ सर्वोत्कृष्ट आयरन ओर, हीरा, एलेक्जेप्डराईट, बाक्साइट, ग्रेनाईट, कोरन्डम एवं देश में केवल राज्य में पाया जाने वाला “टिन” उपलब्ध है।
- 1.3 छत्तीसगढ़ राज्य के 44 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र में मूल्यवान वन एवं वनौषधियों की 88 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जो देश के वनों का 12 प्रतिशत हैं।
- 1.4 राज्य की मुख्य नदियाँ—महानदी, हसदेव, केलो, इन्द्रावती, शिवनाथ आदि पेयजल, कृषि एवं औद्योगिक प्रयोजनों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। शासन ने भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एनीकट एवं बैराज निर्माण की एक श्रृंखला भी प्रारंभ की है।
- 1.5 छत्तीसगढ़ भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिसमें विद्युत का आधिक्य एवं उत्तम विद्युत वितरण प्रणाली उपलब्ध है। पिछले 5 वर्षों में पावर हब बनाने हेतु नियोजित ढंग से कार्य प्रारंभ किया गया है तथा शासकीय एवं निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा 50 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के करारों का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। फलतः इस राज्य में ही मूल्य संवर्धन के अन्य उद्योगों जैसे आटोमोबाईल, केपीटल गुड्स, स्टील एवं एल्यूमिनियम के “डाऊन स्ट्रीम उत्पाद उद्योगों” की अपार संभावनाएं बन गयी हैं।
- 1.6 राज्य का भारत के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर महत्वपूर्ण शहरों एवं केन्द्रों से समान दूरी पर होना एक लाभदायी भौगोलिक स्थिति है। इस विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण “धान का कटोरा” के रूप में विख्यात छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं के कारण राज्य “स्टील”, “सीर्मेंट”, “पावर” एवं “एल्यूमिनियम” की राजधानी के रूप में विख्यात हो रहा है।
- 1.7 पिछले 5 वर्षों में औद्योगिक विकास मुख्यतः कोर सेक्टर में हुआ है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कोर सेक्टर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो तथा इसमें समाज के कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग भी सक्रिय योगदान दें।
- 1.8 औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार करते समय राज्य के उद्योग संघों, प्रमुख उद्योगपतियों, विभागीय अधिकारियों, राज्य शासन के औद्योगिक विकास से संबंधित विभाग प्रमुखों आदि के साथ विचार-विमर्श किया गया है, त्वरित औद्योगिक विकास के लिये प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली अपनाने हेतु विभागीय अधिकारियों को राज्य के बाहर अध्ययन प्रवास पर भी भेजा गया, प्राप्त सुझावों एवं विचारों को महत्व देते हुए औद्योगिक नीति 2009–14 तैयार की गई है। यह उम्मीद है कि इसके क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिकीकरण तीव्र होगा, युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे एवं राज्य में “आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि” का एक नया युग शुरू होगा।

(2) उद्देश्य (Objectives)

- 2.1 कोर सेक्टर के साथ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- 2.2 राज्य के मूल निवासियों को स्व-उद्यम एवं उद्योगों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना।
- 2.3 बुनियादी एवं औद्योगिक अधोसंरचना के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के योगदान को सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देना।
- 2.4 राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण एवं उपयुक्त अधोसंरचना विकसित करने प्रोत्साहित करना।
- 2.5 देशी एवं विदेशी पूँजी निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी एवं सुगम बनाकर तथा अप्रवासी भारतीयों तथा शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशकों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर औद्योगिक निवेश की गति को तीव्र करना।
- 2.6 पिछड़े विकासखंडों में बेहतर औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- 2.7 आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाने हेतु समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को विशेष सुविधाएं एवं अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देना।

(3) रणनीति (Strategy)

- 3.1 राज्य में उपयुक्त स्थानों पर नये "औद्योगिक क्षेत्रों" एवं "उद्योगों के लिये आरक्षित भू-खंडों" की व्यवस्था करना। समूह आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा स्टील, सीमेंट एवं विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु पृथक औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना।
- 3.2 औद्योगिक विकास हेतु रेल, सड़क एवं वायु परिवहन की मूलभूत अधोसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना।
- 3.3 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग करना एवं उत्तम अधोसंरचना विकसित करना। औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं संधारण के लिए पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप की अवधारणा को प्रोत्साहन देना।
- 3.4 बंद एवं बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु योजना तैयार करना।
- 3.5 उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमिता एवं कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित करना।

3.6 राज्य में उद्योगों के लिये आरक्षित भू-खंड एवं नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए विशाल पैमाने पर भू-अधिग्रहण को सुगम बनाने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर उद्योग विभाग के कार्यालयों को सशक्त बनाना।

(4) कार्य नीति (Action Plan)

4.1 बुनियादी अधोसंरचना (Basic Infrastructure)

4.1.1 राज्य में प्रस्तावित वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को उनके खनन क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कामन रेल कारीडोर की “पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप” (पी.पी.पी.) मॉडल में स्थापना के प्रयास करना।

4.1.2 वृहद औद्योगिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में नवीन सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पहुंच मार्गों का विकास एवं विद्यमान सड़कों के उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण के पी.पी.पी. / बी.ओ.टी. मॉडल में क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना।

4.1.3 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जलप्रदाय की व्यवस्था हेतु पी.पी.पी. मॉडल में पहल की जायेगी। उपलब्ध जल स्रोतों का इस तरह से उपयोग किया जायेगा कि भूमिगत जल स्तर, पेयजल एवं कृषि प्रयोजनों हेतु जल प्रदाय की मांग पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

4.1.4 उद्योगों को स्वयं की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु “केप्टिव विद्युत उत्पादन” करने के लिए प्रोत्साहित करना।

4.1.5 स्थापित एवं स्थापनाधीन में औद्योगिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हेतु उद्योगों के साथ पी.पी.पी. मॉडल पर प्रयास किये जायेंगे।

4.1.6 कुशल मानव संसाधन विकसित करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी।

4.1.7 तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों की मांग पर आधारित रिसर्च डेवलपमेंट कार्यक्रम लागू किये जायेंगे।

4.1.8 इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक कालेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4.2 औद्योगिक अधोसंरचना (Industrial Infrastructure)

4.2.1 संतुलित औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकतानुसार जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। वृहद औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए न्यूनतम 20 प्रतिशत आबंटन योग्य भूमि आरक्षित की जायेगी।

4.2.2 राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्रों में न्यूनतम 75 एकड़ के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की मंजूरी दी जायेगी। इनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए रियायतें एवं सुविधाएं दी जायेंगी। इन क्षेत्रों में न्यूनतम 20 प्रतिशत आबंटन योग्य भूमि सूक्ष्म-लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करने की बाध्यता होगी।

- 4.2.3** औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भू-अर्जन को सुगम बनाने एवं भू-स्वामी परिवार के हितों के संरक्षण हेतु प्राप्त मुआवजा राशि की सीमा तक कृषि भूमि खरीदने में स्टाम्प शुल्क एवं उनके द्वारा उद्योग लगाने पर औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटन जैसी विशिष्ट सुविधाएं भी दी जायेंगी।
- 4.2.4** भू-अर्जन से प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा दिलाना शासन की प्राथमिकता है। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित/सीधे क्रय होने पर ऐसे प्रावधान किये जायेंगे कि भूमि स्वामी को समुचित मुआवजा प्राप्त हो।
- 4.2.5** राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अधोसंरचना निगरानी समितियाँ गठित की जायेंगी जो विकास की प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्रों का रख-रखाव एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
- 4.2.6** यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृहद औद्योगिक परियोजनाओं से संलग्न क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु, सहायक एवं सेवा उद्योगों की स्थापना हेतु लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो।
- 4.2.7** “समूह आधारित उद्योगों के विकास” के लिए विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र/पार्क बनाये जायेंगे। इनमें प्रमुखतः जेम्स एंड ज्वेलरी (एस.ई.जेड.), फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल एंड मेडिसिनल पार्क, मेटल पार्क, अपेरल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, रेलवे सहायक उद्योग काम्पलेक्स, एल्यूमीनियम पार्क, प्लास्टिक पार्क, ग्रामोद्योग पार्क एवं फार्मास्यूटिकल पार्क हैं।
- 4.2.8** नये एवं विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार उच्च भारवहन क्षमता की आर.सी.सी. सड़कें, उच्च गुणवत्ता के सतत् विद्युत प्रदाय, जल प्रदाय, टूल रूम/टेस्टिंग लैब, फायर ब्रिगेड, भण्डारण आदि के लिए पहल की जायेगी।
- 4.2.9** औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, हेजारड्स वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सालिड वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकिल्ड जल उपयोग एवं सघन वृक्षारोपण को अनिवार्य किया जायेगा।
- 4.3 प्रशासकीय एवं कानूनी सुधार (Administrative and Legal reforms)**
- 4.3.1** मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के “क्लीयरेन्स” से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में उद्योगों/निवेशकों द्वारा प्रस्तुत एकीकृत आवेदन पत्र पर विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की सतत् समीक्षा उच्च स्तर पर की जायेगी।
- 4.3.2** राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड “सिंगल विंडो प्रणाली” के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। “छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम-2002” के अन्तर्गत बनाये गये “छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम-2004” के अधीन जिला स्तर पर गठित “जिला निवेश प्रोत्साहन समितियाँ” तथा राज्य स्तर पर गठित “राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड” की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निवेश प्रस्तावों पर संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि के भीतर

आवश्यक कलीयरेंस उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की पद्धति अपनाई जायेगी ।

- 4.3.3** मेंगा औद्योगिक परियोजनाओं के भू-अर्जन/भू-आबंटन, जल आबंटन एवं विद्युत प्रदाय संबंधी प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु “नोडल अधिकारी” नामांकित किये जायेंगे जो प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कार्य करेंगे ।
- 4.3.4** उद्योगों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में / औद्योगिक संभावनाओं वाले क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उप कार्यालयों की स्थापना की जायेगी ।
- 4.3.5** श्रम कानूनों के सरलीकरण एवं उन्हें युक्तियुक्त बनाने हेतु पहल की जायेगी ।

(5) उद्योगों के दायित्व (Liabilities of Industries)

- 5.1** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतें उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करें ।
- 5.2** राज्य के मूल निवासियों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मेंगा उद्योगों को राज्य के तकनीकी एवं प्रबंधकीय संस्थानों में कैम्पस सलेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।
- 5.3** मेंगा औद्योगिक परियोजनाओं के संदर्भ में प्रभावित जिलों में सामुदायिक विकास के लिये “मुख्यमंत्री सामुदायिक विकास कोष” बनाया जायेगा ।
- 5.4** औद्योगिक इकाईयों को “एनर्जी आडिट” कराना होगा एवं “रेन वाटर हार्वस्टिंग” की व्यवस्था करनी होगी ।
- 5.5** यह प्रयास किया जावेगा कि मेंगा औद्योगिक परियोजनाएं अपने औद्योगिक उपक्रम में लगने वाले पदार्थों का क्रय राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से करें एवं सहायक उद्योगों के विकास में राज्य शासन को सहयोग करें ।
- 5.6** औद्योगिक इकाईयों की वाटर रिसाईक्लिंग एवं वाटर रिचार्जिंग की जिम्मेदारी होगी ।
- (6) निर्यात संवर्धन एवं एफ.डी.आई. निवेश (Export Promotion and Foreign Capital Investment)**
- 6.1** रायपुर में एक सूचना केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिसमें वर्कशाप, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित कर निर्यात से संबंधित गतिविधियों की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध कराई जायेगी ।

6.2 रायपुर में स्थापित “इनलैण्ड कंटेनर डिपो” को सर्व सुविधायुक्त बनाया जायेगा, ताकि राज्य से सीधे निर्यात हो सके। राजधानी स्थित “विदेश व्यापार कार्यालय” को सशक्त बनाने प्रयास किये जायेंगे।

6.3 100 प्रतिशत निर्यातक उद्योगों, एफ.डी.आई. निवेशक एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने पर अतिरिक्त रियायतें/सुविधाएं दी जायेगी।

6.4 भारत सरकार द्वारा जारी “विदेश व्यापार नीति 2009–14” की समस्त योजनाओं एवं रियायतों का लाभ राज्य को दिलाने हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे।

(7) प्रक्रिया सरलीकरण एवं सहायक उद्योगों का विकास (Simplification of Process and Development of Ancillaries)

7.1 राज्य में स्थापित सूक्ष्म-लघु उद्योगों के हित संवर्धन हेतु “छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 यथासंशोधित 2004” का पुनरीक्षण किया जायेगा, ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि संभव होने पर भंडार क्रय नियमों की परिधि में आने वाले शासकीय क्रय की आपूर्ति राज्य के सूक्ष्म-लघु उद्योगों से ही की जाये।

7.2 औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आबंटन हेतु प्रचलित भू-आवंटन नियमों का परीक्षण कर उसे युक्तियुक्त बनाया जायेगा।

7.3 राज्य के शासकीय विभागों द्वारा किये जाने वाले क्रय हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली की व्यवस्था लागू की जायेगी एवं ई-टेंडरिंग की आवेदन प्रक्रिया के संबंध में समुचित प्रशिक्षण के प्रावधान किये जायेंगे।

7.4 राज्य में स्थापित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सहायक उद्योगों की स्थापना की योजना को बढ़ावा दिया जायेगा।

(8) बीमार औद्योगिक इकाईयों का पुनर्वास (Rehabilitation of sick and closed industrial units)

राज्य में आर्थिक रूप से संभाव्य किन्तु बंद/बीमार औद्योगिक इकाईयों (बी.आई.एफ.आर. से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) को पुनः प्रारंभ करने हेतु पुनर्वास योजना बनायी जायेगी।

(9) उद्यमिता एवं मानव संसाधन विकास (Enterpreneurship and human resource development)

9.1 राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से, युवाओं में उद्योगों के प्रति रुझान पैदा करने हेतु एवं स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं के सहयोग एवं समन्वय से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर में एक उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

- 9.2 राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं शासन की योजनाओं की जानकारी उद्यमियों को प्रभावी माध्यमों से उपलब्ध करायेगी। जिले में संभावित उद्योगों के मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाईल जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में उद्यमियों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9.3 राज्य के उद्योगों में प्रबंधकीय, तकनीकी एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता तथा उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का आंकलन किया जाकर मांग एवं आपूर्ति में समन्वय करने के लिये तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन विशेष सेल स्थापित किया जायेगा। इस सेल को राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मांग के अनुरूप नये विषय एवं ट्रेड प्रारंभ करने हेतु उत्तरदायी बनाया जायेगा।

(10) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (Exemptions/ Concessions for Promotion of Industrial Investment)–

- 10.1 राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की योजनाएँ – उद्योगों को उनकी पात्रता के अनुसार निम्नांकित मदों में परिशिष्ट 4 अनुसार अनुदान/छूट/रियायतें दी जायेंगी :–

ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर प्रीमियम में छूट/रियायत, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, भूमि व्यपवर्तन शुल्क से छूट, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान एवं मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को सर्वाधिक अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जायेगी। इस वर्ग को औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाने के लिये मार्जिन मनी अनुदान की दर को 25 प्रतिशत किया जा रहा है इसके अतिरिक्त “अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी उन्नयन योजना” भी प्रारंभ की जायेगी।

अप्रवासी भारतीय/शत-प्रतिशत एफ.डी.आई. उद्यमियों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा में 5 प्रतिशत अधिक का लाभ दिया जायेगा तथा महिला उद्यमी, राज्य के सेना से सेवा निवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं विकलांगों को सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी। छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में संबंधित क्षेत्रों के सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दी जाने वाली अवधि भी 01 वर्ष अधिक होगी।

राज्य के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी के उन्मूलन हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जायेगी।

- 10.2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु सम्पूर्ण राज्य को “आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों” में वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक विकास का मापदंड जिले के स्थान पर विकासखंड को बनाया गया है।

- (एक) **विकासशील क्षेत्र** – इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के उन विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें औद्योगिक विकास प्रारंभ हो चुका है। इन्हें परिशिष्ट- 6 पर अंकित किया गया है।
- (दो) **पिछड़े क्षेत्र** – इस श्रेणी में अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के समस्त विकासखंड एवं सामान्य जिलों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड समावेशित है। जो परिशिष्ट- 7 पर अंकित हैं।
- 10.3 निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-
- (एक) सामान्य वर्ग के उद्यमी
 - (दो) अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी
 - (तीन) अप्रवासी भारतीय/ शत-प्रतिशत एफ.डी.आई. वाले निवेशक
 - (चार) महिला उद्यमी
 - (पांच) राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/ विकलांग
- 10.4 निवेश के आकार की दृष्टि से उद्योगों को निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-
- (एक) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
 - (दो) मध्यम उद्योग
 - (तीन) वृद्ध उद्योग
 - (चार) मेगा प्रोजेक्ट्स
 - (पांच) अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स
- 10.5 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु उद्योगों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-
- (एक) **संतृप्त श्रेणी के उद्योग**– परिशिष्ट-2 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी,
 - (दो) **प्राथमिकता उद्योग** – परिशिष्ट-3 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की अतिरिक्त पात्रता होगी,
 - (तीन) **कोर सेक्टर के उद्योग**– परिशिष्ट-5 की सूची में दर्शाए उद्योग, जिन्हें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत उद्योगों की स्थापना हेतु केवल आवश्यक भूमि पर स्टाम्प शुल्क से छूट की पात्रता होगी,
 - (चार) **सामान्य श्रेणी के उद्योग** – संतृप्त श्रेणी के उद्योग, प्राथमिकता उद्योग तथा कोर सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर अन्य समस्त उद्योग जिन्हें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।
- 10.6 इस नीति में प्रावधानित “औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन” निम्नलिखित उद्योगों के मामलों में लागू होंगे :-
- (एक) **नवीन औद्योगिक परियोजनाएं** – ऐसे समस्त नवीन उद्योग, जो 1 नवम्बर, 2009 तथा 31 अक्टूबर, 2014 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें।

- (दो) विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों की विस्तार परियोजनाएं – दिनांक 1 नवम्बर, 2009 के पूर्व से उत्पादनरत ऐसी विद्यमान औद्योगिक इकाईयां एवं 1 नवम्बर, 2009 के पश्चात प्रारंभ नये उद्योग जो उनके विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लाट एवं मशीनरी में निवेशित मान्य पूँजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा मूल उत्पादन क्षमता (पंजीकृत क्षमता अथवा विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व के तीन वर्षों के औसत वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करे एवं 31 अक्टूबर, 2014 के पूर्व विस्तार परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे ।
- (तीन) **शवलीकरण एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन से संबंधित परियोजनाएं** – विद्यमान उद्योगों में उत्पादनरत इकाईयों को उत्पाद का शवलीकरण करने एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन पर अनुदान/छूट/रियायतें दी जावेंगी बशर्ते कि वे उनके विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लाट एवं मशीनरी में निवेशित मान्य पूँजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करे ।
- ऐसी छूट केवल यथास्थिति शवलीकृत उत्पाद पर / फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन से संबंधित उत्पाद / कच्चा माल – मध्यवर्ती उत्पाद/मूल्य संवर्द्धित उत्पाद पर ही दी जायेगी, जिसके लिये 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा ।
- 10.7 औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होंगे जो स्थायी नियोजन में, अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता की दशा में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करेंगे ।
- 10.8 जिन सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम-वृहद औद्योगिक इकाईयों एवं मेगा प्रोजेक्ट तथा अति वृहद उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2009 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु ई.एम. पार्ट -1 / आई.ई.एम./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो एवं उनकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो किंतु औद्योगिक नीति 2004-09 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2010 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2004-09 में प्रावधानित अनुदान/छूट / रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा ।
- 10.9 भारत शासन अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की अनुदान, छूट एवं रियायतें प्राप्त नहीं होंगी ।
- 10.10 “कोर सेक्टर” एवं संतृप्त श्रेणी की औद्योगिक परियोजनाओं को छोड़कर अन्य औद्योगिक परियोजनाओं जिनमें रूपये 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूँजी निवेश के प्रस्तावों पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रकरणवार मंत्रि-परिषद द्वारा निर्धारित किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

- 10.11 औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु भू-अर्जन से प्रभावित कृषकों/विस्थापितों हेतु शासन की पुनर्वास नीति का पालन कराया जायेगा एवं प्राप्त क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि से कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जायेगी ।
- 10.12 राज्य में उद्योगों को दी जाने वाली पुरस्कार योजना का विस्तार किया जायेगा ।
- 10.13 इस नीति के अन्तर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु दिये जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन की अनुदान/छूट/रियायतों की योजनाओं का लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिये अधिसूचनाएँ जारी की जायेगी, नियम बनाये जायेंगे तथा संगत कानूनों के अन्तर्गत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जायेंगे ।
- 10.14 लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने पर उन्हें भी औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

(11) क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा (Monitoring of Implementation of Industrial Policy)

औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01 नवम्बर 2009 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2014 तक होगी । 05 वर्षों की इस कालावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस औद्योगिक नीति के प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश / संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे ।

परिभाषाएँ :-

- 1- “नियत दिनांक” से आशय है – औद्योगिक नीति 2009–14 के प्रभावी होने का दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर 2009,
- 2- “आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र” से आशय है “परिशिष्ट-6” में सम्मिलित क्षेत्र,
- 3- “आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र” से आशय है “परिशिष्ट-7” में सम्मिलित क्षेत्र,
- 4- “औद्योगिक क्षेत्र” से आशय है तथा इसमें सम्मिलित है— नियत दिनांक से पूर्व एवं पश्चात् के राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्ध शहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला, औद्योगिक विकास केन्द्र, संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र, राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य में तथा संधारित औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विभिन्न औद्योगिक पार्क/विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र/ औद्योगिक क्षेत्र तथा राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के आधिपत्य का भूमि बैंक एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्र (ऐसे उद्योग जिन्होने औद्योगिक क्षेत्रों में अंशतः भूमि आवंटन प्राप्त कर एवं अंशतः औद्योगिक क्षेत्रों से संलग्न भूमि क्रय कर उद्योग स्थापित किया जा रहा हो/उद्योग स्थापित किया हो)।
- 5- “नवीन उद्योग” (ग्रीन फील्ड उद्योग) से आशय ऐसे उद्योग से है जिसके द्वारा दिनांक 1.11.2009 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति ₹०एम० पार्ट-1 /आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ₹.एम. पार्ट-2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो,

यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन उद्योग हेतु यह आवश्यक ही है कि उद्योग के नाम पर भूमि हो, भूमि पर शेड-भवन निर्मित किया गया हो एवं प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गयी हो ।

- टीप:-**(1) विद्यमान उद्योग में “नवीन उत्पाद” का समावेश नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा ।
- (2) विद्यमान उद्योग के परिसर में नियत दिनांक के पश्चात् प्रारंभ किये गये उद्योग को भी नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य किया जायेगा, यदि उद्योग निमांकित शर्तों की पूर्ति करता हो—
- 2.1 नवीन उद्योग के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ₹.एम.पार्ट-1, आई.ई.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो,
 - 2.2 नवीन उद्योग के नाम से भूमि धारित करे,
 - 2.3 नवीन उद्योग के नाम से धारित भूमि पर पृथक शेड-भवन का निर्माण किया गया हो,
 - 2.4 पृथक रूप से निर्मित शेड-भवन में प्लांट एवं मशीनरी (नवीन उद्योग के नाम पर) स्थापित हो,

- 2.5 नवीन उद्योग हेतु पृथक से उत्पादन, क्रय-विक्रय पंजियाँ संधारित की गई हो, 2.6 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर उपरोक्त के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो,
- 6 “विद्यमान उद्योग” से आशय ऐसे उद्योग से है जिसने औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक के पूर्व में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.एम. पार्ट-2/स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित हो,
- 7 “विद्यमान उद्योग के विस्तार” से आशय है –
- 7.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद उद्योगों / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में औद्योगिक नीति वर्ष 2009-14 के नियत दिनांक के पश्चात उत्पादनरत् विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में मान्य निवेशित पूँजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि का अतिरिक्त निवेश करते हुए उद्योग विभाग से पंजीकृत मूल क्षमता या विगत 03 वित्तीय वर्षों के औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो ।
- 7.2 औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक के पश्चात नवीन उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाईयों को उनके उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने, सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत नवीन उद्योग में विस्तार करने पर विस्तार से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी यदि 7.1 में अंकित निवेश तथा उत्पादन संबंधी शर्तों की पूर्ति होती हो ।
- 8 अ. “सूक्ष्म एवं लघु उद्योग” से आशय है ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जो भारत सरकार के “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करता हो ।
- ब. “सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम” से आशय ऐसे उपक्रम से है जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सेवा श्रेणी के अंतर्गत हो एवं समय-समय पर जारी की गई सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1 धारित करता हो तथा एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करता हो ।
- 9 “मध्यम उद्योग” से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जो भारत सरकार के “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूँजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म-लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूँजी निवेश से अधिक किंतु रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम. प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक

उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण—पत्र भी धारित करता हो ।

- 10 “वृहद उद्योग” से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 100 करोड़ तक स्थायी पूँजी हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक उपक्रम सक्षम अधिकारी से यथास्थिति आई.ई.एम0./ आशय पत्र / औद्योगिक लायसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण—पत्र भी धारित करता हो ।
- 11 “मेगा प्रोजेक्ट” से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रूपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूँजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो ।
- 12 “अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट” से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है जिसने रूपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूँजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम/ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं कोर सेक्टर एवं संतुप्त श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित न हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो ।
- 13 “संतुप्त श्रेणी के उद्योग” से आशय है राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–2 में सम्मिलित उद्योग ।
- 14 “प्राथमिकता उद्योग” से आशय है राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में आने वाले वे उद्योग जो परिशिष्ट–3 में सम्मिलित है ।
- 15 “कोर सेक्टर” के उद्योग से आशय है परिशिष्ट–5 में सम्मिलित समस्त श्रेणियों की औद्योगिक परियोजनाएं ।
- 16 “सामान्य उद्योग” परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–3 एवं परिशिष्ट–5 में सम्मिलित उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योग सामान्य उद्योगों की श्रेणी में होंगे ।
- 17 “स्थायी पूँजी” निवेश से आशय है किसी नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण तथा फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा भी लागू हो, हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक भूमि, फैक्ट्री, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है ।
- टीप : स्थायी पूँजी निवेश की गणना निम्नानुसार की जाएगी –
- 17.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में उद्योग स्थापना परिसर में ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र /

- औद्योगिक लायसेंस जारी करने के दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश ही मान्य किया जायेगा।
- 17.2 विद्यमान उद्योग के “विस्तारीकरण”, शवलीकरण तथा “फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन” हेतु किये गये स्थायी पूंजी निवेश की गणना विद्यमान उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण, शवलीकरण तथा फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन हेतु सक्षम अधिकारी को लिखित पूर्व सूचना एवं इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करने के दिनांक से विस्तारीकरण, शवलीकरण तथा फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन की योजना के पूर्ण होने एवं तदनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में उपर्युक्त कार्यकलापों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजी निवेश ही मान्य होगा,
- 18 (1) “भूमि मूल्य” से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ शवलीकरण/फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के मूल्य से है तथा “भूमि मूल्य” में सम्मिलित है— भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/ भू-प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि,
टीप- पट्टे पर ली गयी भूमि की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष की होना अनिवार्य है ।
(2) **भू-प्रब्याजि** – भू आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटित भूमि हेतु निर्धारित भू-प्रब्याजि ।
- 19 **शेड-भवन** से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्यूरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम।
- 20 **विद्युत आपूर्ति निवेश** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ शवलीकरण/फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं/या निजी कम्पनियों को भुगतान की गयी राशि से है।
टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।
(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा।
- 21 “जल आपूर्ति निवेश” से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ शवलीकरण/फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बेकवर्ड इन्टीग्रेशन हेतु औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।
- 22 “प्लांट एवं मशीनरी” से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से है।

टीप : न्यूनतम 10 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए प्राप्त किए गए ऐसे लीज-होल्ड प्लांट, मशीनरी तथा उपकरण, जिसका सीधा संबंध पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन से हो, पर किया गया निवेश भी प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश मान्य होगा तथा उसका मूल्यांकन "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया" द्वारा जारी "एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड (एस.) 19 लीजेस की प्रक्रिया एवं मापदण्ड" के अनुसार किया जायेगा, किन्तु उसका लीज़ मूल्य किसी भी दशा में उस प्लांट/मशीनरी के मूल्य से अधिक नहीं लिया जायेगा ।

23 “वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक” से आशय है—

- (क) “सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों” के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रारंभ किये गये संसूचित परीक्षण – उत्पादन दिनांक से 60 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो।
- (ख) “मध्यम उद्योगों” के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।
- (ग) “वृहद उद्योगों” के मामले में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 150 दिन बाद तक का दिनांक या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो।
- (घ) “मेगा प्रोजेक्ट” के मामलों में रूपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु 500 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 180 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।
- (ई) रु. 500 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।
- (फ) कोर सेक्टर एवं संतृप्त सेक्टर के उद्योगों को छोड़कर रु. 1000 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले प्रकरणों में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संसूचित परीक्षण उत्पादन दिनांक से 350 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो भी पहले हो।

टीप :-उपरोक्त प्रावधान विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने संबंधी मामलों में लागू नहीं होंगे । विद्युत संयंत्रों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के संबंध में ऊर्जा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र को ही मान्य किया जायेगा ।

24 वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र—

- (1) औद्योगिक उपक्रम की योजना अनुसार उपक्रम द्वारा अपने उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा “वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र” जारी किया जायेगा,

- (2) औद्योगिक उपक्रम की योजनानुसार औद्योगिक इकाई के पक्ष में एक ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। चरणबद्ध उत्पादन करने पर तदनुसार पूंजी निवेश, उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक एवं रोजगार की प्रविष्टियाँ सतत् रूप से की जायेगी।
- (3) सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों में ई.एम. पार्ट-2 जारी करने के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी जारी किया जायेगा।
- (4) वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
- (5) औद्योगिक उपक्रम की योजना से भिन्न उत्पाद का उत्पादन करने पर इसका समावेश वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में किया जायेगा, किंतु भिन्न उत्पाद पर किसी भी प्रकार के अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता नहीं होगी।
- 25 “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति” से आशय ऐसे व्यक्ति से हैं जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित जाति/जनजाति का हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में आने बाबत् स्थायी प्रमाण-पत्र भी धारित हो।
- 26 “अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा प्रस्तावित/स्थापित उद्योग” से आशय ऐसे औद्योगिक उपक्रम से हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के द्वारा एवं मूल निवासी द्वारा स्थापित की जानी प्रस्तावित हो/स्थापित हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में सभी भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में सभी अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में सभी सदस्य राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो एवं यथास्थिति ई०एम० पार्ट-1/आई०ई०एम०/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई०एम० पार्ट-2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करते हो।
- 27 “विनिर्माण उद्योग” से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विनिर्माण की श्रेणी में आने वाले उद्योग।
- 28 “जाब वर्क” से आशय है जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावे।
- 29 “योजना” से आशय है – सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकार में दाखिल ई०एम० पार्ट-1/आई०ई०एम० में उपक्रम द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)।

मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में राज्य सरकार के साथ निष्पादित एम०ओ०य० में परियोजना की कुल लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर)।

टीप- विद्यमान उद्योग के विस्तार/शवलीकरण तथा फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बैकवर्ड इन्टीग्रेशन के प्रकरणों में पृथक योजना बनाकर सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

- 30 "महिला उद्यमी" से आशय राज्य की मूल निवासी ऐसी महिला से है, जिसने उद्योग स्थापित करना प्रस्तावित किया हो / स्थापित किया हो, भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत भागीदार, भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित कम्पनी होने की दशा में 51 प्रतिशत अंशधारक, सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य एवं सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाएं हों एवं उनके उद्योग में नियोजित कुल रोजगार के न्यूनतम 25 प्रतिशत महिलाएं प्रबंधकीय, कुशल एवं अकुशल श्रेणी में कार्यरत हो।
- 31 "विकलांग" से आशय राज्य के उस निवासी से है, जो भारत सरकार द्वारा जारी विकलांग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो एवं राज्य का मूल निवासी हो एवं इसके लिये सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र धारित करता हो।
- 32 "सेवा निवृत्त सैनिक" से आशय है जो भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं/ अर्द्धसैनिक बल से सेवा निवृत्त हुआ हो एवं तदाशय का संबंधित प्रशासकीय विभाग/ कार्यालय से प्रमाण—पत्र धारित हो एवं राज्य का मूल निवासी हो।
- 33 "नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य में नक्सलवादी उन्मूलन में शहीद / विकलांग हुए व्यक्ति अथवा / एवं उसके परिवार का सदस्य हो एवं राज्य का मूल निवासी हो व इसमें सम्मिलित है पति—पत्नी, पुत्र—पुत्री एवं माता—पिता जो इस प्रयोजन हेतु संबंधित जिले के क्लेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र धारित हों।
- 34 "निर्यातक उद्योग" से तात्पर्य उस उद्योग से है जिनके पक्ष में विकास आयुक्त, भारत सरकार द्वारा L.O.P. (लेटर ऑफ परमिशन) जारी किया गया हो।
- 35 "100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग" से आशय उस निर्यातक उद्योग से है जो विकास आयुक्त, भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी की गई परिभाषा के अंतर्गत आता हो एवं निर्यातक उद्योग की परिभाषा की परिधि में भी आता हो।
- 36 "शवलीकरण" से आशय ऐसे उत्पादनरत विद्यमान औद्योगिक इकाई/उद्योग से है जिसने औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हुए उद्योग स्थापित किया हो तथा सक्षम प्राधिकारी से ई.एम.पार्ट—2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित हो, यदि औद्योगिक नीति 2009—14 के नियत दिनांक के पश्चात अपने वर्तमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयेगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई/उद्योग ने नियत दिनांक 01 नवम्बर 2009 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो। इसके लिये 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा।
- 37 "बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन" – बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आशय है यदि उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद के लिये प्रयुक्त होने वाले कच्चामाल—मध्यवर्ती उत्पाद का भी उत्पादन अपने विद्यमान उद्योग में प्रारंभ करे एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन से आशय है उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्व से निर्मित उत्पाद के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित उत्पाद (Value added product) का भी उत्पादन अपने विद्यमान उद्योग में प्रारंभ करे, बशर्ते कि वे उनके विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में

निवेशित मान्य पूँजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करे। ऐसी रियायत केवल “फारवर्ड इन्टीग्रेशन एवं बैकवर्ड इंटीग्रेशन” से संबंधित उत्पाद पर ही दी जायेगी, इसके लिये 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

- 38 **“सावधि ऋण”** सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक /वित्त निगम/ अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम/अन्य निगम/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक /नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण (इसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य एवं स्थापना व्यय भी सम्मिलित किया जायेगा)।
- 39 **“परियोजना प्रतिवेदन”** – परियोजना प्रतिवेदन से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना हेतु राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या उद्योग संचालनालय से अनुमोदित प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, राज्य शासन के किसी विभाग/बोर्ड, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम संस्थान, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से तैयार कराया गया परियोजना प्रतिवेदन।
- 40 **कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद** पर कार्यरत कर्मचारियों की वही परिभाषा मान्य की जायेगी जो राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी की जावे।
- 41 **अप्रवासी भारतीय** की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी की जावे।
- 42 **शत—प्रतिशत एफडीआई निवेशक** की वही परिभाषा मान्य होगी जो समय—समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की जावे।
- 43 **राज्य के मूल निवासी** से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे तथा जो इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र धारित करता हो।
- टीप-** उपर्युक्त परिभाषाओं के संबंध में मत भिन्नता उत्पन्न होने पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायतों एवं
पुरस्कार हेतु संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची

- (1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण
- (2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)
- (3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर
- (4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राइडिंग, पलवराइजिंग
- (5) चूना निर्माण,
- (6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग
- (7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)
- (8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस
- (9) स्पंज आयरन
- (10) राईस मिल
- (11) मिनी सीमेंट प्लांट/विलंकर
- (12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग
- (13) आरा मिल (सॉ मिल)
- (14) लेदर टैनरी
- (15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)
- (16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग
- (17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप:- संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी।

प्राथमिकता उद्योगों की सूची ::

वर्गीकरण के आधार पर –

- 1 हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
- 2 आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स
- 3 साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
- 4 प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स
- 5 नॉन फेरस (एल्यूमिनियम सहित) मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद
- 6 भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल को छोड़कर)
- 7 ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)
- 8 फार्मास्यूटिकल उद्योग
- 9 व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद
- 10 सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी. एनेबल्ड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग
- 11 सेरी कल्वर, हार्टी कल्वर, फ्लोरी कल्वर, बॉयो फर्टीलाईजर, पिसीकल्वर से संबंधित उद्योग
- 12 टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)
- 13 लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग
- 14 भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स
- 15 अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
- 16 डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट
- 17 ग्रामोद्योग इकाईयां (ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)
- 18 ऐसे अन्य वर्ग के उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जावें

टीप- प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा जिसकी सीमा राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

उत्पाद आधारित

- 1 एच०डी०पी०ई० बैग्स एवं पाईप्स
- 2 मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी०व्ही०सी० पाईप्स एवं फिटिंग
- 3 ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण
- 4 स्व-चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्वर इम्लीमेंट्स
- 5 मेटल पावडर
- 6 बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूंजी निवेश हो)

- 7 लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में रूपये 25 लाख से अधिक पूँजी निवेश हो)
- 8 फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)
- 9 रेडीमेट गारमेन्ट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को)
- 10 सिंगल सुपर फार्स्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाइजर्स
- 11 100 प्रतिशत निर्यातिक उद्योग
- 12 बायोडीजल उत्पादन
- 13 कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाइल्स एवं फिटिंग
- 14 वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
- 15 कटिंग टूल्स डाईज एवं फिकचर्स
- 16 फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग
- 17 ऐसे अन्य उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप- प्राथमिकता सेक्टर की पात्रता के लिए संबंधित उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम सीमा तक निवेश करना आवश्यक होगा जिसकी सीमा राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान, छूट एवं रियायतें

1- ब्याज अनुदान :

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के पात्र उद्योगों को लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 20 लाख वार्षिक</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 15 लाख वार्षिक</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 25 लाख वार्षिक</p>
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रु. 40 लाख वार्षिक</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक</p>

ख- मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25 प्रतिशत-अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक</p>	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत - अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक</p>

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत— अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत— अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक

2- स्थायी पूंजी निवेश अनुदान-

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा –

क- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 40 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 60 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 80 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 60 लाख,	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख,

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट—7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रु. 100 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 120 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम, रु. 120 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 140 लाख

घ- मेगा प्रोजेक्ट / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 300 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम रु. 350 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम, रु. 500 लाख,

3- विद्युत शुल्क छूट-

केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :-

क- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट

ख-वृहद / मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स -

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 03 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट

4- स्टाम्प शुल्क से छूट -

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी –

- (1) पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स ।
- 1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,
- 1.2 ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,
- (2) औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू-खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर,
- (3) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क
- (4) औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिलो द्वारा क्रय किये जाने वाली भूमि पर

टीप- यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली मार्झिनिंग लीज पर प्राप्त नहीं होगी ।

5— औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :

पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आवंटन में भू-प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	निरंक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक

वृहद उद्योग / मेगा प्रोजेक्ट्स / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 10 प्रतिशत छूट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट भू-भाटक की दर 01 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक

- टीप-** (1) वृहद् / मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में कोर सेक्टर एवं संतुप्त श्रेणी के उद्योगों को भू-प्रीमियम में छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (2) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक व्यवसायिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रु0 प्रति एकड़ होगी ।
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग, व्यवसाय व सेवा क्षेत्रों में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक के पश्चात् राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक होगी । इसके उपरांत आरक्षण समाप्त कर नियमानुसार आबंटन किया जायेगा ।

(4) शासन की अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत बजट प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाये जायेंगे, जो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि-शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

6- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार अनुदान दिया जाएगा –

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	<p>सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 1 लाख</p> <p>अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों</p>

	को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 2 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 3 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 4 लाख

7- भूमि उपयोग में परिवर्तन-

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू-व्यपवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी ।

8- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क-

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि के अर्जन पर एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क नियत दिनांक 01 नवंबर, 2009 से निम्नानुसार लागू किया जायेगा—

क—निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,

ख—औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग / सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निजी/ शासकीय भूमि आवंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 20 प्रतिशत राशि,

टीप: यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू-आवंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. को देय 20 प्रतिशत भू-आवंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा । जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू-अर्जन शुल्क भू-प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

9- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान-

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को आई०एस०ओ०— 9000, आई०एस०ओ०— 14000 या अन्य समान राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 1 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख होगी ।

10- तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को पेटेन्ट प्राप्ति हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी । अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रु. 6 लाख होगी ।

11- मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान-

राज्य में फुड प्रोसेसिंग से संबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को (केवल पोहा मिल, आयल मिल एवं औयल एक्सट्रैक्शन प्लांट को) उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल कृषि उपज मंडी समितियों से

क्रय किये जाने पर मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक होगी। यह छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी।

12- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान -

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रु. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के उद्योगों की स्थापना हेतु वित्त पोषण की एक पृथक योजना भी तैयार की जायेगी, जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा।

13- औद्योगिक पुरस्कार योजना -

1. वर्तमान में राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु "छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना" क्रियान्वित है जिसके अन्तर्गत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 की जायेगी।
 2. सूक्ष्म, लघु उद्योगों द्वारा किये गये निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये उल्लेखनीय कार्य को महत्ता प्रदान करने "लघु उद्योग निर्यात पुरस्कार" एवं "लघु उद्योग पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" भी दिये जायेंगे जिसकी राशि क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 दी जायेगी। पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।
 3. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने हेतु केवल इस वर्ग के उद्यमियों हेतु ही "छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार योजना" प्रारंभ की जायेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
 4. ऐसे उद्योग जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, एवं उद्योग में बायलर/हेवी मशीनरी स्थापित है, में औद्योगिक स्वारथ्य एवं सुरक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक सुरक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित की है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से "औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार" रु. 1,00,000 नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
 5. राज्य में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु एक "महिला उद्यमी पुरस्कार योजना" प्रारंभ की जायेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
- उपरोक्त समस्त पुरस्कार एक गरिमामय कार्यक्रम में दिये जायेंगे।

- टीप-**
- 1-** यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन संतुप्त श्रेणी के उद्योगों को प्राप्त नहीं होंगे।
 - 2-** कोर सेक्टर के उद्योगों को परियोजना हेतु भूमि क्रय करने /लीज पर (मार्जिनिंग लीज को छोड़कर) लिये जाने से केवल स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त होगी।

कोर सेक्टर के उद्योग

- 1- कोर सेक्टर की श्रेणी में निम्नांकित मेंगा प्रोजेक्ट आयेंगे :-
 - अ- सीमेंट / विलंकर प्लांट
 - ब- इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट
 - स- एल्यूमिना / एल्यूमिनियम प्लांट
 - द- ताप विद्युत संयंत्र
- 2- कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना वृहद औद्योगिक क्षेत्रों / उद्योगों के लिए आरक्षित भू-खण्डों में की जायेगी व इन क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे ।
- 3- कोर सेक्टर के उद्योगों को परियोजना हेतु भूमि क्रय करने /लीज पर (मार्झिनिंग लीज को छोड़कर) लिये जाने से केवल स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदाय की जायेगी । इसके अतिरिक्त उन्हें इस औद्योगिक नीति में प्रावधानित अन्य कोई छूट/अनुदान/रियायतों की पात्रता नहीं होगी ।

परिशिष्ट-6

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

- 1- जिला-रायपुर
विकास खण्ड-धरसीवां, तिल्वा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाटपारा, पलारी ।
- 2- जिला-बिलासपुर
विकासखण्ड- बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुँगेली, पथरिया, लोरमी ।
- 3- जिला-दुर्ग
विकास खण्ड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरुर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।
- 4- जिला-राजनांदगांव
विकास खण्ड – राजनांदगांव ।
- 5- जिला- महासमुंद
विकास खण्ड- महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली ।
- 6- जिला-धमतरी
विकास खण्ड- धमतरी, कुरुद, ।
- 7- जिला- कबीरधाम
विकास खण्ड- कवर्धा ।
- 8- जिला- जांजगीर-चांपा
विकास खण्ड- डभरा, अकलतरा, सकती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा ।
- 9- जिला- रायगढ़
विकास खण्ड- रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया ।
- 10- जिला- कोरबा
विकास खण्ड- कोरबा, कटघोरा ।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

- 1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड
- 2– दुर्ग जिला – डौडी, नवागढ़, एवं डौडी-लोहारा विकासखंड ।
- 3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़-चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड ।
- 4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।
- 5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड ।
- 6– रायगढ़ जिला– धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड ।
- 7– बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रारोड, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।
- 8– महासमुंद जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड ।
- 9– कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड ।
- 10– जांजगीर-चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड ।
- 11– कोरबा जिला– करतला, पोड़ी-उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड ।

निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना हेतु (क्षेत्रफल न्यूनतम 75 एकड़ होने पर) निम्नानुसार अनुदान /छूट दी जायेगी :—

- 1— अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) पर 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 300 लाख
- 2— डायवर्सन शुल्क में पूर्ण छूट
- 3— स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट